

# न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/28/2024

रजू दिनांक: 11.03.2024

रजि0 न0 2024/55

अपीलार्थी:-

हेमलता सैनी पत्नी श्री हेमन्त कुमार  
सैनी, बल्लु वाला कुआं, देहली दरवाजा  
बाहर, वार्ड नं0 7, अलवर, जिला अलवर  
(राज0)

प्रत्यर्थी:-


लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0  
जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 26.03.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 19.03.2024 को उपस्थित आवे।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब आदिनांक तक अप्राप्त है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः लोक सूचना अधिकारी के जवाब के अभाव में एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें साथ ही निर्देशित किया जाता है, कि यदि सूचना देयता की श्रेणी में हो तो अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराई जावे, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
6. निर्णय आज दिनांक 26.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फौसल शूमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(आशीष गुप्ता)  
जिला कलेक्टर अलवर  
(राज0)